

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में रावतसेरा-डोबागड़ा धारी-मध्या मोटर मार्ग का निर्माण।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 19.08.2015 को प्रश्नगत परियोजना के लिए वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री बी0डी0जोशी, वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री. ~~डी.एस.गुप्ता~~ राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री चंचल सिंह कोरंगा, अवर अभियंता, श्री प्रदीप तिवारी, अमीन द्वारा भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/ नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वन भूमि ०:६५६ है०, सिविल सोयम वन भूमि १:५२७ है०, वन पंचायत भूमि ०:३५२ है० कुल २:५२५ है० वन भूमि एवं १:५२५ है० नाप भूमि प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/ संरक्षण को सर्वथा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से ग्राम नरगोली, सिमाय ल, भंडारीसेरा, सलिया एवं कफाली त्रिगुणा की कुल ५१६ जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होगी।

आवेदित वन भूमि में १.२० वृक्षों व नाप भूमि पर ५८ वृक्षों का पातन निहित है जिनकी प्रजातिवार/ व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

(चंचल सिंह कोरंगा) (प्रदीप तिवारी)
अवर अभियंता अमीन
(प्रयोक्ता एजेन्सी) लो०नि०वि०

(~~डी.एस.गुप्ता~~)
राजस्व उप निरीक्षक
राजस्व विभाग प्रतिनिधि

(बी०डी०जोशी)
वन दरोगा
वन विभाग प्रतिनिधि

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर (सदस्य सचिव)

अधिशोषी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

वनसंरक्षक अधिकारी
वनक्षेत्र अधिकारी
धरमधर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग (सदस्य)

वृक्षारोपण अधिकारी
काण्डा बागेश्वर
काण्डा बागेश्वर वन प्रभाग (सदस्य)

प्रधान/ वन पंचायत सरपंच

उपजिलाधिकारी
काण्डा / अक्षा संयुक्त निरीक्षण
समिति तहसील कांडा

प्रभागिय वन अधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर
जिला-बागेश्वर

जिला अधिकारी
जिलाधिकारी
बागेश्वर